

2018/06/07

5-112/18 डाफ
दि 8-5-18

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
फूलियाकला (भीलवाडा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।
महोदयजी, डाफ अन्तर्गत धारा 36 L RA

उपरोक्त विधियानुसार निवेदन है कि प्रार्थी रामलाल बैरवा पिता रामचन्द्र बैरवा
जाति बैरवा निवासी ~~पटवारी~~ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम...
~~केवदारपुरी~~ पटवार मण्डल ~~केवदारपुरी~~ के खाता संख्या 291 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति
बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(रामलाल)

8-5-18

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रामलाल पिता रामचन्द्र की ग्राम केवदारपुरी प.0म0
के खाता संख्या 291 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी
की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पटवारी ~~केवदारपुरी~~
प.0म0
पुता ~~केवदारपुरी~~
भू.अ.नि. 8-5-18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रामलाल पिता रामचन्द्र की ग्राम केवदारपुरी
प.0म0 के खाता संख्या 291 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की
जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
फूलियाकला, जिला भीलवाडा

आदेश केवदारपुरी दि 8-5-18

5-112/18 डाफ

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभियंशा के प्रार्थी श्री...
रामलाल पिता रामचन्द्र की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम केवदारपुरी प.0म0 केवदारपुरी
के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 291 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है।
अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
फूलियाकला केक्टर
फूलियाकला, जिला भीलवाडा